Rule 20 : Application for cancellation of registration

A registered person, other than a person to whom a registration has been granted under rule 12 or a person to whom a Unique Identity Number has been granted under rule 17, seeking cancellation of his registration under sub-section (1) of section 29 shall electronically submit an application in **FORM GST REG-16,** including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which cancellation of registration is sought, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting cancellation, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

[1][*****]

---

1 Proviso omitted by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-01-2018. Earlier to omission it read as under:

"**Provided** that no application for the cancellation of registration shall be considered in case of a taxable person, who has registered voluntarily, before the expiry of a period of one year from the effective date of registration."

नियम 20 : रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है **प्ररूप जीएसटी आरईजी–16** में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख जिसकी रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट ब्यौरे या स्टाक में धारित अर्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल, उस पर दायित्व ऐसे दायित्व के विरूद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे यदि कोई हो, वारंट रद्दकरण की घटना घटित होने के तीस दिवसों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

[1][......]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु** रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन, कराधेय व्यक्ति की दशा में, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है स्वीकार नहीं किया जाएगा।"